न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 12/2011

रेवड पुत्र धन्ना जाति बलाई (बैरवा)(फोत)
1.1 बद्री पुत्र रेवड
1.2 सोहनलाल पुत्र रेवड
1.3 प्रभात पुत्र रेवड
जाति बैरवा निवासी खारण्डी तहसील दौसा जिला दौसा
1.4 लछमा पुत्री रेवड पत्नि रणजीत जाति बैरवा निवासी सिंगवाडा तहसील दौसा जिला दौसा
..अपीलांट्स

बनाम

1. बद्री पुत्र रामसहाय जाति गुर्जर निवासी बिरासना तहसील व जिला दौसा?
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
..रेस्पो0

अपील विरूद्ध नामान्तरण सं0 270 दिनांक 12.12.2001 तहसीलदार तहसील दौसा ।

उपस्थित–1. श्री वरूण नागर, अधिवक्ता अपीलांट।
2. जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1
3. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 27.2.2025

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 12.12.2001 को ग्राम खारण्डी का नामान्तरण सं0 270 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि अधीनस्थ तहसीलदार दौसा ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलांअ को उक्त नामान्तरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 20.5.2011 को अपीलांट को रेस्पों0 सं0 1 ने भूमि पर से बेदखल करने व कब्जा करने की धमकी देने पर अपीलांट ने अपने पुत्र के माध्यम से नकले प्राप्त की। इस प्रकार अपीलांट को दिनांक 20.5.2011 को सर्वप्रथम नामान्तरण सं0 270 की जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः डिले कन्डोन फरमाया जाकर अपीलांट की अपील को अंदर मियाद शुमार की जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 व राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को उक्त आवंटन की पूर्व में भी जानकारी थी। अपीलांट ने अत्यधिक विलंब से यह अपील पेश की गई है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 की मियाद के बिन्दु पर बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई।

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम खारण्डी तहसील दौसा जिला दौसा मे स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 19/217 रकबा 5 बीघा स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता को आवंटित हुई थी एंव अपीलान्ट अपने पिता के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 2.9.87 को तहसील दौसा मे सैटलमेंट समाप्त हुआ और सैटलमेंट के दौरान साबिका खसरा नम्बर 19/217 से नये नम्बर 77 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नंबर 80 रकबा 0.13 हैक्टर खसरा नम्बर 84 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नम्बर 85 रकबा 0.48 हैक्टर बनाकर अपीलान्ट की खातेदारी मे लगा दिया। लेकिन शेष भूमि को काटकर सिवाय चक दर्ज कर दिया खसरा नम्बर 19/217 से बनने वाले हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नम्बर 82 रकबा 0.07 हैक्टर खसरा नम्बर 83 रकबा 0.15 हैक्टर खसरा नम्बर 86 रकबा 0.05 हैक्टर खसरा नम्बर 87 रकबा 0.12 हैक्टर को गलत तरीके से सिवाय चक दर्ज कर दिया। जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट को आवंटित शुदा भूमि को सैटलमेंट विभाग को अपीलान्ट की भूमि में से भूमि काटकर भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। लेकिन रिकार्ड मे भूमि के सिवाय चक होने के आधार पर आवंटन नियमो के विपरीत उक्त भूमि को अवैधानिक तरीके से रेस्पो. को आवंटित कर दिया गया। इस संबंध में अपीलान्ट ने एक वाद भी सक्षम न्यायालय मे पेश कर रखा है जो विचाराधीन है योग्य अधीनस्थ तहसीलदार तहसील दौसा ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर चुपचाप में दिनांक 30.3.93 को गैर खातेदारी का नामान्तरण खोल दिया। जिसके विरूद्व अपील पेश की जा चुकी है इसके पश्चात अपीलान्ट को नोटिस दिये बगैर ही नामान्तरण सं. 270 दिनांक 12.12.2001 को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण खोल दिया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा का विधि विरूद्व प्रक्रिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। तहसीलदार तहसील दौसा ने उक्त नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का कोईनोटिस नही दिया एवं अपीलान्ट को नोटिस दिये बगैर ही चुपचाप मे उक्त नामान्तरण खोला है जो कानूनन निरस्त कियेजाने योग्य है। अपीलान्ट पूर्व खसरा नम्बर 19/217 रकवा 5 बीघा का खातेदार व काबिज काश्तकारहै एवं 19/217 से बनने वाले नम्बरों से ही वर्तमान खसरा नम्बर 81,82, 83, 86, 87 बने है एवं नक्शा ट्रेश मे उक्त भूमि को काटकर भूमि को गलत रूप से सिवाय चक मे लगाकर गलत आवंटन किया गया है एवं गलत नामान्तरण खोला गया है लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यो पर विचार न करके आदेश पारित करने मे कानूनी गलती की है, अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। रेस्पो. का उक्त भूमि पर कोई कब्जा भी नही है जबकि कब्जा अपीलान्ट का है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने कब्जे की जॉच किये बगैर ही नामान्तरण खोलने मे कानूनीगलती की है। गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण आवंटन के दस वर्ष पश्चात ही खोला जा सकता है इससे पूर्व उप जिला कलैक्टर दौसा से आदेश लेकर ढाई गुणा लगान वसूल कर ही खातेदार प्रदत की जा सकती है उपरोक्त प्रकरणमें 10वर्ष से पूर्व ही गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण अवैध रूप से खोला गया है एवं आवंटन नियमो की सरासर अवहेलना की गयी है इसलिए उक्त नामान्तरण निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 270 दिनांक 12.12.2001 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested

5. अधिवक्ता रेस्पों. सं0.1 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा पारित नामान्तरण चुपचाप से तस्दीक नहीं किया जाकर विधिवत ढंग से तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर,दौसा

अपीलांट द्वारा मैलाफाईड एवं झूंठी अपील पेश की गई है। अपीलांट कोई ग्रसित व्यक्ति नहीं है, उसे अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। आराजी वर्णित जैर नामान्तरण से अपीलांट का कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि अपीलांट के पिता की आवंटितशुदा व कब्जे की भूमि नहीं थी। आराजी जैर वर्णित नामान्तरण की भूमि कोई साबिका खसरा नंबर 19/217 का भू भाग भी नहीं थी। उक्त भूमि भू प्रबंध विभाग ने कोई गलत तरीके से सिवायचक दर्ज नहीं की थी जिसका विधिवत ढंग से अंकन भू प्रबंध विभाग द्वारा सिवायचक में किया गया था। इस बिन्दु को इस अपील में देखा भी नहीं जा उसकता है एवं इसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय हो चुका है। उक्त भूमि सिवायचक सरकारी होने भूमि सरकारी भूमि होने के कारण अप्रार्थी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत ढंग से दिनांक 18.6.1992 को आवंटित की गई थी एवं भूमि पर कब्जा प्राप्त किया गया तथी से अप्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आवंटन के आधार पर अप्रार्थी को दिनांक 30.3.1993 को नामान्तरण सं0 65 के द्वारा गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उसके आधार पर ही अप्रार्थी को विधिवत ढंग से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। अपीलांट कोई ग्रसित पक्षकार भी नहीं है, ना ही उक्त भूमि पर कोई कब्जा है। इसके संबंध में पूर्व में न्यायालय श्रीमान एवं उप जिलाअधिकारी दौसा एवं भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय हो चुके है। अपीलांट उक्त निर्णयों से प्रतिबंधित है। रेस्पों. सं0 1 को जो आवंटन हुआ है उसे श्रीमान जी के न्यायालय द्वारा विधिवत एवं सही ठहराया गया है। उसी बिन्दुओं पर यह दूसरी अपील रेस्पों. को नाजायज हैरान व परेशान करने के लिए की गई है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय दौसा के निर्णय दिनांक 23.7.1997 एवं उप जिलाधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 12.8.1998 व भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 17.3.2001 के पूर्ण विवेचन धारा 5 कानून मियाद के आवेदन पत्र के जवाब में किया जा चुका है। रेस्पों. सं0 1 आराजी जैर वर्णित नामान्तरण का दिनांक 30.3.1993 से नामान्तरण सं0 65 द्वारा गैर खातेदार चला आ रहा है। उसके आधार पर एवं कब्जे व आवंटन के नियमों की पालना करने के आधार पर दिनांक 12.12.2001 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। इस प्रकार अपीलांट किस प्रकार से उक्त नामान्तरण से ग्रसित है यह बात कहीं भी अपील मीमों में अंकित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरण सं0 270 वाके ग्राम खारंडी का पटवारी हल्का नांगल चांपा के द्वारा बद्री पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी खारंडी का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण भरकर दिनांक 6.11.2011 को पेश किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक भाडांरेज द्वारा दिनांक 28.11.2011 को जांच की गई। तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 12.12.2001 को उक्त नामान्तरण तस्दीक किया गया है। तहसीलदार दौसा द्वारा नियमानुसार नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

- अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नामान्तरण सं0 270 वाके ग्राम खारंडी का पटवारी हल्का नांगल चांपा के द्वारा बद्री पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी खारंडी का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण भरकर दिनांक 6.11.2011 को पेश किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक भाडांरेज द्वारा दिनांक 28.11.2011 को जांच की गई। तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 12.12.2011 को उक्त नामान्तरण तस्दीक किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

- पत्रावली में संलग्न निर्णय की प्रति के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट ने आवंटित भूमि खसरा नंबर 81 से 83, व 86 से 87 के आवंटन आदेश दिनांक 18.6.1992 को न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में चुनौती दी गई जिसको न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिनांक 23.7.1997 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश का मुख्य ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है:–

  " आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवंटी को पटवारी एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात आवंटन किया गया है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार आवंटी भूमिहीन है तथा ग्राम विरासना का निवासी है। आवंटी ने पने प्रार्थना पत्र में स्वयं को विरासना का निवासी बताया है। आवंटन आदेश में आवंटी ग्राम खारंडी का निवासी होना अंकित किया है जो एक लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। प्रार्थी पक्ष से सन 1968 में दिनांक 30.7.1968 को धन्ना के पक्ष में 05 बीघा एवं कल्याण के पक्ष में 10 बीघा भूमि कमे आवंटन की की आज्ञा की छाया प्रति पेश की गई है लेकिन सन 1968 से लगभग 30 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उनको खातेदारी क्यों नहीं मिली, इसका कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने की पुष्टि में जमाबंदी एवं खसरा परिवर्तनशील की नकलें ही पेश की गई है। आवंटन के समय भूमि सिवाय चक दर्ज थी। ऐसा स्थिति में यदि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा भी था तो वह अतिक्रमण की तारीफ में आता है। और अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को आवंटित किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त योग्य है"

- इसके पश्चात प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 21.11.1997 को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय दिनांक 12.8.1998 को निर्णय पारित किया गया। उक्त पारित निर्णय दिनांक 12.8.98 को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में चुनौती दी गई जिसमें दिनांक 17.3.2001 को निर्णय पारित कर अपील अपीलांट खारिज की जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा गया।

- साथ ही पत्रावली में संलग्न नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम खारंडी संवत 2041 से 2060 के अवलोकन से भी यह सिद्ध होता है कि खसरा नंबर 81 से 83 व 86 से 87 मिन खसरा नंबर 19 से बना है ना कि 19/217 से।

- अपीलांट द्वारा यह कथन किया गया है कि न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा विधि विरूद्ध यह नामान्तरण खोला गया है किन्तु उक्त नामान्तरण तहसीलदार दौसा द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 18.6.1992 की पालना में खोला गया है। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील दिनांक 23.7.1997 को न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा खारिज की जाकर आवंटन को बहाल रखा गया है। अतः हम अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है।

- अपीलांट का यह कथन कि तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरण के समय किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इससे हम सहमत नहीं है कि उक्त नामान्तरण उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा दिये गये आवंटन के परिप्रेक्ष्य में खोला गया है जिसमें अपीलांट का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः उन्हें किसी प्रकार का नोटिस दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

- अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट का आवंटित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है का नामान्तरण से कोई संबंध नहीं है। यह नामान्तरण अपील के रूप में प्रस्तुत की गई है ना कि आवंटन आदेश की अपील के रूप में (जिसका कि पूर्व में 23.7.1997 को जिला कलक्टर दौसा द्वारा निस्तारण किया जा चुका है) नामान्तरण आवंटन आदेश के अनुरूप खोला गया है जिसमें विधिक त्रुटि नहीं है। उक्त आवंटन आदेश को चुनौती दी गई थी जिसे भी खारिज किया जा चुका है।
- अपीलांट ने गलत तथ्यों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसे हम खारिज किये जाने योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2001 जो कि नामान्तरण सं0 270 वाके ग्राम खारंडी को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:58:08 IST
Reason: SelfAttested